न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान मन्नी देवी बनाम गोपाल

मुकदमा संख्या / वर्ष टी0आई0 92 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के0 आर0 शर्मा, अप्रार्थी संख्या 07 लगायत 11 की ओर से आधिवक्ता श्री आर0 के0 यादव, अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15, 18, 19 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा , अप्रार्थी संख्या 20 की ओर से हीरालाल सैनी हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बोयतावाला, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 71 रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 15, 18, 19 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रभात व झूथा ने पूर्व में जमीन सोसायटी को बेच दी थी, जिस पर कॉलोनी कटी हुई है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय भूमि है, जिसे तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रेषित पीटी सर्वे की रिपोर्ट द्वारा प्रामाणित किया गया है। यदि आवासीय योजना का विभाजन भी कब्जे अनुसार किया जात है, इसमें अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस व पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम बोयतावाला, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 71 रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम